राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 25.07.2020

राज्य में कोविड–19 मरीजों की जॉच हेतु दिशा.–निर्देश

कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी संभव प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 40,000 से अधिक Tests प्रतिदिन कराने की क्षमता उपलब्ध है। COVID-19 के Test करने के क्रम में मुख्य उद्देश्यों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है।

उद्देश्यः–

1. COVID-19 के Patients/Spread के Pattern का पता कर Corona के प्रसार को रोकने की प्रभावी कार्यवाही करना।

2. COVID-19 के Patients का शीघ्र पता कर तत्काल उपचार प्रारंभ कर संभावित जनहानि को रोकना।

सेम्पल लिये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

सभी चिकित्साकर्मियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे अपना विवेक इस्तेमाल करते हुये यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति/क्षेत्र जहाँ जाँच की आवश्यकता है, उसका सेम्पल जाँच हेतु अवश्य लिया जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अनावश्यक रूप से सेम्पल नहीं लिये जावे – अनावश्यक सेम्पल लिये जाने से संसाधनों का व्यर्थ ही अपव्यय होगा। इस हेतु **प्रमुख Indicator** क्षेत्र विशेष की Testing में ज्ञात '**Positivity**' है। जहाँ Positivity अधिक आये, वहाँ Testing बढ़ाने की आवश्यकता है, तथा इसके विपरीत 'Positivity' न्यून होने पर Testing की संख्या Review किए जाने की आवश्यकता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में कोविड–19 की जॉच हेतु सेम्पल लिये जावें –

1. ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्होंने गत 14 दिवस में **अंतर्राष्ट्रीय यात्रा** की हो एवं जिनमें ILI के लक्षण मौजूद हों।
2. प्रयोगशाला जाँच द्वारा पॉजिटिव पाये गये मरीजों के संपर्क में आये समस्त व्यक्ति जिनमें ILI के लक्षण हों।
3. ILI के लक्षण वाले **समस्त चिकित्साकर्मी एवं Frontline Workers** जो कि कोविड–19 की रोकथाम एवं नियंत्रण में कार्यरत हैं।
4. वे सभी मरीज जिनमें **SARI (Severe Acute Respiratory Infection)** के लक्षण हों।
5. Confirmed COVID-19 Positive व्यक्ति के संपर्क में परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से संपर्क में आये लक्षण–विहीन व्यक्तियों की जाँच संपर्क में आने के **5वें से 10वें** दिन के मध्य की जावे।
6. हॉट–स्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन में रहने वाले व्यक्ति जिनमें **ILI** के लक्षण हों।
7. अस्पताल में भर्ती वे सभी मरीज जिन में ILI के लक्षण हों अथवा जो कि अन्य गम्भीर बीमारियों (**Co-morbid Conditions**) से ग्रसित हैं या '**Risk Group**' में आते हों।
8. वे समस्त **ILI** के लक्षण वाले व्यक्ति जो राज्य के बाहर से घर वापस आये हों या यहाँ प्रवासी हैं। ऐसे व्यक्तियों की राज्य में आने के सात दिवस **Institutional Quarantine** पूर्ण कर तथा **Home Quarantine** से पूर्व जाँच की जानी चाहिए।

9. किसी भी **आपातकालीन परिस्थिति** में उपचार में विलंब नहीं किया जावे। यद्यपि ILI के लक्षण होने की स्थिति में जाँच के लिए सेम्पल भिजवाया जा सकता है।
10. वे **Cancer अथवा Kidney** रोगी जिन्हें बार–बार उपचार हेतु सरकारी अथवा प्राईवेट अस्पताल आना पडता है, ऐसे रोगियों को जब भी किसी डॉक्टर द्वारा कोरोना जाँच की सिफारिश की जावे, उनका सेम्पल जाँच हेतु लिया जा सकता है।
11. Patients के निकट सम्पर्क (Close contact) में आने वाले चिकित्सा एवं अन्य कर्मी।
12. Medical Institutions में **In-door भर्ती अथवा Surgery** के Case में।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्रवार COVID-19 के प्रभाव को रोकने के लिए निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के Random Basis पर Sample लिए जाएं–

i. **Super Spreaders** यथा घरेलू नौकर, फल–सब्जी वाले, किराने की दुकान वाले, Hair Dresser / Beauty Parlour / सैलून, प्रेस वाला, धोबी, इत्यादि।
ii. Congested Area में निवास करने वाले **Vulnerable Groups** (60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति या Chronic Illness यथा Diabetes, High Blood Pressure, Asthma, Cancer, Heart Disease, Kidney Disease, Chronic Lung Disease, इत्यादि से ग्रसित व्यक्ति)।
iii. ऐसे स्थान जहाँ समूह में व्यक्ति एकत्रित होते हैं, अथवा Transit (आवागमन करते हैं) यथा मंडियाँ, बस स्टैंण्ड, Airports, Public Transport, Bank and other Financial Institutions एवं Jails इत्यादि में उपस्थित रहने वाले व्यक्ति।
iv. क्षेत्र में कार्यरत Corona Warriors अथवा Health Care Workers (जो कि विभिन्न सरकारी या प्राईवेट अस्पतालों में जहाँ रोगी भार अधिक है) कार्यरत हैं।

इस प्रकार लिए गए Random Samples में क्षेत्र विशेष में 'Positivity' अधिक आने पर उस क्षेत्र पर Focus रूप से समुचित कार्यवाही की जाए।

सेम्पल लेने के लिये ध्यान रखने हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुः–

1. ऐसे व्यक्ति जिनको कोविड–19 बीमारी होने का ज्यादा खतरा हो, जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति (जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो) अथवा वे व्यक्ति जो लम्बे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हो (Chronic Illness यथा Diabetes, Raised Blood Pressure, Asthma, Cancer, Heart Disease, Kidney Disease, Chronic Lung Disease, इत्यादि) ऐसे व्यक्तियों का खास तौर पर सेम्पल जाँच हेतु लिया जाना चाहिये।

2. **घरेलू नौकर** यदि किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र से प्रतिदिन आते हों जहाँ पर कोई कोविड–19 का केस रिपोर्ट हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों में कोविड–19 होने की आशंका बढ़ जाती है। यदि कोई घरेलू नौकर कोविड–19 से संक्रमित हो और कई घरों में सेवा देता/देती हो, ऐसे व्यक्ति से कोविड–19 संक्रमण कई व्यक्तियों में फैलने का जोखिम है। ऐसे घरेलू नौकरों का सेम्पल जाँच हेतु लिया जावे।

3. **फल–सब्जी वितरण तथा किराने की दुकानों की श्रृंखला** के द्वारा भी कोविड–19 संक्रमण फैलने की आशंका रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कई लोगों के सम्पर्क में आते हैं। यह श्रृंखला अमूमन इस प्रकार होती है –– थोक विक्रेता (Wholesaler) →फुटकर विक्रेता (Retailer) →सब्जी वाला/किराने की दुकान वाला →ग्राहक। इस श्रृंखला में सेम्पल लेने हेतु सर्वप्रथम थोक विक्रेता से शुरूआत की जावे (जैसे कि थोक सब्जी मण्डी से)। यदि इस गतिविधि में कोई व्यक्ति कोविड–19 संक्रमित पाया जाता है तो उस के सम्पर्क में आने वाले फुटकर विक्रेता, वाहन चालक, अन्य मजूदर आदि का भी सेम्पल जाँच हेतु लिया जावे। अगले चरण में सब्जी

वालों/किराने की दुकान वालों का भी सेम्पल लिया जावे। यदि थोक विक्रेता का सेम्पल कोविड–19 Negative मिलता है, तब भी विवेक के आधार पर फुटकर विक्रेताओं तथा सब्जी वालों/किराने की दुकान वालों का सेम्पल जाँच हेतु लिया जावे।

4. यदि कोई **Hair Dresser/Beauty Parlour का कर्मचारी**, कोविड–19 से संक्रमित है, उससे कई व्यक्तियों को कोविड–19 संक्रमण फैलने का खतरा है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति घनी आबादी वाले क्षेत्र में सेवा देता है अथवा घनी आबादी वाले क्षेत्र से, जहाँ कोविड–19 का कोई केस पाया गया हो, किसी अन्य क्षत्र में सेवा देने के लिये आता हो, ऐसे व्यक्तियों का सेम्पल जाँच हेतु लिया जाना चाहिये।

5. इसी प्रकार सभी स्वास्थ्य कर्मियों तथा अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न परिस्थितियों में वे अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए जाँच सेम्पल लेने का उचित निर्णय लें जिससे यह सुनिश्चित हो कि कोई व्यक्ति जिसकी जाँच आवश्यक है, वह जाँच से वंचित न रहा जाए और साथ ही अनावश्यक जाँच नहीं करवाई जाए ताकि संसाधनों का सदुपयोग हो सके।

6. क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया जाए कि Sample लेते समय व्यक्ति का Profile, **RT-PCR App** में ही Feed किया जाए। कतिपय स्थानों से Sample के साथ Data, Excel Sheet में प्रेषित किया जा रहा है, यह भविष्य में स्वीकार्य नहीं होगा।

7. सेम्पल लेते समय Lab Technician द्वारा प्रत्येक मरीज की सभी वांछित सूचना RT-PCR App में Upload की जानी अनिवार्य है। सभी Lab Technicians को ये निर्देश दिए जाते हैं कि वे सभी व्यक्तियों का, जिनका सेम्पल लिया जा रहा है, RT-PCR App में आधार कार्ड संख्या की Entry अनिवार्य रूप से करें। यदि कोई व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बना हो (जैसे कि छोटे बच्चे), ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया अथवा परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड संख्या अवश्य Enter करें। साथ ही सेम्पल लेते समय RT-PCR App में यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि वह सेम्पल New अथवा Repeat है, यह सूचना भी उन्होंने भर दी है। Samples की Packing Appropriate Manner से सुनिश्चित की जाए।

कोविड–19 जाँच के परिणाम की सूचना देने के सम्बन्ध में:–

जिन व्यक्तियों का सेम्पल कोविड–19 की जाँच हेतु लिया गया है उन्हें उस जाँच का परिणाम सूचित करना (भले ही वह Positive हो या Negative हो) सरकार की जिम्मेदारी है। सभी संबंधित चिकित्सालयों,प्रयोगशालाओं तथा अधिकारियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि समय पर सभी व्यक्तियों का सेम्पल जाँच के परिणाम की सूचना **अधिकतम 24 घण्टों** के भीतर प्राप्त हो जाये।

कोविड–19 जाँच का परिणाम Negative आने की स्थिति में:–

यदि सेम्पल जाँच का परिणाम Negative है तो –

- लक्षण–विहीन (**Asymptomatic**) व्यक्ति को एहतियात बरतने का परामर्श दिया जावे।
- मामूली लक्षण (**Mild Symptoms**) वाले कोविड–19 Negative मरीज को डॉक्टर द्वारा उपचार दिया जावे तथा ऐसे मरीजों का इलाज घर पर रहते पूर्ण किया जावे।
- लक्षण वाले (**Moderate or Severe Symptomatic**) कोविड–19 Negative मरीजों को Non-COVID अस्पताल में इलाज हेतु Refer किया जावे एवं SARI के पृथक वार्ड (**Non-COVID SARI Ward**) में इलाज दिया जावे।

कोविड–19 जाँच का परिणाम **Positive** आने की स्थिति में:–

- **लक्षण–विहीन अथवा मामूली लक्षण वाले (Asymptomatic or Mild Symptomatic)** (जैसे मामूली बुखार, खाँसी, गले में खराश, बन्द नाक, सिरदर्द, थकावट) कोविड–19 Positive मरीजों को जिन्हें साँस लेने में परेशानी न हो, और जिनके घर पर Self Isolation की पर्याप्त सुविधा हो ऐसे लोगों को Home Isolation किया जावे। हालाँकि Immunocompromised व्यक्तियों का किसी भी परिस्थिति में अस्पताल में ही इलाज किया जावे। जोखिम वाले (Vulnerable) विशेष श्रेणी के मरीजों यथा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, लम्बी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जैसे Diabetes, Kidney Disease, Raised Blood Pressure, Heart Disease, Chronic Lung Disease, इत्यादि) के रक्त में Oxygen Saturation पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा नियमित रूप से मापा जावे तथा उनमें सांस लेने में कठिनाई के लक्षण पर निगरानी रखी जावे। इस निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की होगी।

– **Home Isolation** की अवधि **14 दिन** की होगी साथ ही रोगी से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित अण्डरटेकिंग ली जाएगी । इन रोगियों में रोग के लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सा विभाग को सूचना दी जावेगी।

– Home Isolation वाले कोविड–19 मरीजों के Close Contacts/Care Givers को **Hydroxychloroquine** (HCQ) की दवा Prophylaxis हेतु दी जावे।

– ऐसे Asymptomatic/Mild Symptomatic कोविड–19 Positive मरीज जिनके लिए घर पर Home Isolation की पर्याप्त सुविधा नहीं है, उन्हें **COVID Care Center** में Isolate किया जावे।

– Home Isolation अथवा COVID Care Center वाले मरीजों को तीन दिन लगातार बुखार नहीं होने के पश्चात् सात दिन तक **Follow Up** किया जाना चाहिये। वे Isolation कोविड–19 मरीज जो Asymptomatic हैं, उन्हें दस दिन तक **Follow Up** किया जाना चाहिये और Home Isolation में रहना चाहिये। Isolation अवधि पूर्ण होने के पश्चात् दोबारा कोविड–19 की जाँच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

- **मध्यम अथवा गम्भीर लक्षण वाले (Moderate or Severe Symptomatic) कोविड–19 Positive मरीजों के सम्बन्ध में –**

मध्यम लक्षण वाले (Moderate Symptomatic) कोविड–19 मरीजों का **Dedicated COVID Health Center** में भर्ती कर दिशा–निर्देश अनुरूप इलाज किया जावे। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण (Moderate Symptomatic) वाले कोविड–19 मरीजों की छुट्टी से पूर्व कोविड–19 की जाँच की आवश्यकता नहीं है एवं इन मरीजों का भर्ती काल **कुल दस दिवस** होना चाहिये, जिस में **तीन दिन** तक बिना लक्षण के होना चाहिये।

गम्भीर (Severe) कोविड–19 मरीजों का Dedicated COVID Hospital में इलाज किया जावे। गम्भीर (Severe) कोविड–19 बीमारी के मरीजों को लक्षण–रहित होने तथा कोविड–19 जाँच का परिणाम Negative आने के पश्चात् ही छुट्टी दी जावे। साथ ही जो रोगी Comorbid बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें कोविड–19 **Negative आने के बाद** ही छुट्टी दी जावे।

चूंकि राज्य सरकार Testing की सुविधा **निःशुल्क** उपलब्ध करा रही है अतः परिपत्र में इंगित कारणों के अतिरिक्त Sampling जिला कलक्टर/CM&HO द्वारा समुचित कारण होने पर ही अनुमत की जाए।

सभी सम्बन्धित चिकित्साकर्मियों तथा सभी अधिकारियों द्वारा इन दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मानीनय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकरी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. को प्रेषित कर लेख है कि उनके जिले में स्थित निजी NABL Accredited एवं आईसीएमआर से कोविड–19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं पर निरन्तर निगरानी रखते हुए उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करावें।
15. प्रधानाचार्य, महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जेएनयू मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
16. प्रबंधक, संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल, जयपुर/डॉ. बी. लाल क्लिनिकल लैब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव